


10/11
 10/11
 न्यायालय से तीन-तीन मरवा आवाप पुनरुत्थापन
 पर कोई उप नही। प्रपि. आदेशीका अनुस. (पि 208 के
 तबसे किपार. शीत है। वकील पानी को पपिपुडु वम
 प्रदान किपे पाने पर भी समान तलपन परा नही किपे न
 ही नखों के अवरत व रीपि। न्यायसुप आदेश - 9
 किपम 3 व 5 एए रवारेज वपनी उचित समझा है।
 अतः प्र-प्र ववारेज किपे पाना ही नम्व के नपन
 ववारेज वमर है।


 उपखण्ड अधिकारी
 आलावाड (राज.)